"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 मई 2012—वैशाख 13, शक 1934

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-7/2008/नौ/55.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकीय नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटें तथा निजी नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शासकीय नियंत्रण की सीटों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :—**

(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2012" कहलाएंगे.

(2) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा.

(3) यह नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषायें :—** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :—

(1) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन.

(2) "श्रेणी" से अभिप्रेत है, इन चारो श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात्—"अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति", "अन्य पिछड़ा वर्ग" (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा "अनारिक्षत".

(3) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं विकलांग.

Scanned by CamScanner

(4) "अन्य संवर्ग" से अभिप्रेत है, जो किसी भी संवर्ग के अंतर्गत न हो.

(5) "प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इन नियमों के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगी परीक्षा.

(6) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, चिकित्सा शिक्षा/स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़.

(7) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, राज्य शासन के तहत छत्तीसगढ़ में स्थित नर्सिंग महाविद्यालय जिसे प्रवेश परीक्षा के वर्ष में परिषद् से मान्यता तथा प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त हो.

(8) "विद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ में स्थित जनरल नर्सिंग विद्यालय जिसे प्रवेश परीक्षा के वर्ष में परिषद् से मान्यता तथा प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त हो.

(9) "विश्वविद्यालय" का अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर.

(10) "शासकीय अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा निजी नर्सिंग महाविद्यालय जिसने चल सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति, शासकीय अस्पताल अथवा अन्य शासकीय संपत्ति के उपयोग का अधिकार अथवा आर्थिक सहायता आदि के रूप में राज्य शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो.

(11) "अल्पसंख्यक संस्था" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा राज्य में संचालित तथा ऐसी शर्तों के अधीन मान्यता प्रदत्त अथवा अधिसूचित हो जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित हो.

(12) "विकलांग" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का क्रमांक-1)" की धारा 2 (झ) की परिभाषा के अनुसार विकलांग की श्रेणी में आता हो तथा राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा मान्य हो.

(13) "मंडल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर.

(14) "मूल निवासी" से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी तथा राज्य शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र का धारक हो.

(15) "परिषद्" से अभिप्रेत है, नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद्.

(16) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़.

(17) "सेवारत अभ्यर्थी" का अभिप्रेत है, राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियमित अथवा तदर्थ अथवा संविदा रूप से पदस्थ कार्यरत महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) अथवा स्टाफ नर्स.

(18) "पाठ्यक्रम" का अभिप्रेत है नर्सिंग के पाठ्यक्रम जी.एन.एम./बी.एस.सी. (नर्सिंग)/बी.एस.सी. (पोस्ट बेसिक नर्सिंग)/ एम.एस.सी. (नर्सिंग) एवं डिप्लोमा पोस्ट बेसिक.

(19) "आदिवासी स्वास्थ्य संस्थान" का अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा यथा अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्र.

टीप :— वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का पत्र क्रमांक/1781/10/ ट्राईआईपी./आजाबि/03, दिनांक 17-4-2003 के साथ सहपठित भारत का राजपत्र विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 192, दिनांक 20-2-2003 के तारतम्य में यथा अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्र.

(20) "अग्रेषण प्राधिकारी" का अभिप्रेत है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे सेवारत अभ्यर्थी के लिए क्रमशः संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं अथवा संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़.

Scanned by CamScanner

3. सामान्य :—

(1) नर्सिंग के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा, आवंटन, प्रवेश भारतीय नर्सिंग परिषद्/विश्वविद्यालय भारत सरकार/राज्य सरकार कॉलेज की स्वायत्त सोसायटी के तत्समय लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित एवं विनियमित होंगे.

(2) नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश की तिथि से भारतीय नर्सिंग परिषद्/विश्वविद्यालय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम होंगे. सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को निजी व्यवसाय अंशकालिक अथवा अन्य कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं रहेगी.

(3) अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक सही जानकारी देना एवं प्रस्तुत करना होगा. अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व वे नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और पूर्ण एवं सही आवश्यक जानकारी भरें और यथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, ऐसा न करने की स्थिति में आवेदक प्रवेश परीक्षा, आवंटन एवं प्रवेश आदि के हकदार नहीं होंगे.

(4) सीट के आवंटन के समय अथवा दस्तावेजों की जांच के समय अथवा उसके प्रवेश के पूर्व या बाद के किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि आवेदन फार्म भरते समय अभ्यर्थी ने किसी प्रकार के संबंधित तथ्यों को छुपाया है और/अथवा गलत जानकारी दी है तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय वर्तमान में यथा निर्धारित नियमों के तहत् उनके प्रवेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा.

(5) प्रत्येक अभ्यर्थी को शासन, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नियमों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा.

(6) शासन द्वारा समय-समय पर संबंधित महाविद्यालयों के लिए जारी किए गए सभी निर्देश लागू होंगे.

(7) सेवारत अभ्यर्थियों को, जिनके आवेदन अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित किए गए हैं, परीक्षा एवं कौंसिलिंग में शामिल होने के लिए ड्यूटी पर माना जाएगा तथा वे नियमानुसार अपने मूल विभाग से यात्रा भत्ता एवं महंगाई भत्ता के दावे के लिए हकदार होंगे.

4. पात्रता :— केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी जो :—

(1) भारत का नागरिक हो.

(2) छत्तीसगढ़ का "मूल निवासी" हो.

(3) **आयु सीमा :—**

1. **न्यूनतम आयु—** ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो.

2. **अधिकतम आयु—** बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी./एक वर्षीय पोस्ट बेसिक डिप्लोमा/एम.एस.सी. के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है. जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है.

3. सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है.

स्पष्टीकरण :—

1. इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा सेवारत अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है.

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

3. आयु प्रमाणित करने के लिए 10+2 पद्धति से दसवीं या बारहवीं की अंक सूची अथवा जन्म प्रमाण पत्रों में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगा.

Scanned by CamScanner

(4) नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें :—

(1) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से संचालित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हतायें :—

क्रमांक	नर्सिंग पाठ्यक्रम	अर्हताएं	प्रशिक्षण अवधि	परीक्षा एजेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बी.एस.सी. (पोस्ट बेसिक) नियमित	जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी उत्तीर्ण	2 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जावेगा.
2.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशियलिटी	पंजीकृत नर्स (जी.एन.एम. या बी.एस.सी.) अथवा समकक्ष न्यूनतम एक वर्ष स्टाफ नर्स के रूप में अनुभव	1 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा कौंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी.
3.	बी.एस.सी. (बेसिक)	बारहवीं उत्तीर्ण भौतिक, रसायन, जीवविज्ञान, अंग्रेजी न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ	4 वर्ष	व्यापम
4.	एम.एस.सी.	1. न्यूनतम 55 प्रतिशत एग्रीगेट अंकों के साथ बी.एस.सी. नर्सिंग/ बी.एस.सी. ऑनर्स नर्सिंग/ पोस्ट बेसिक नर्सिंग उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिये 5 प्रतिशत शिथिलनीय) 2. बेसिक बी.एस.सी. उपरांत 1 वर्ष का अनुभव अथवा पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के पूर्व अथवा पश्चात् 1 वर्ष का अनुभव	2 वर्ष	विश्वविद्यालय

(2) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हतायें :—

क्रमांक	नर्सिंग पाठ्यक्रम	अर्हताएं	प्रशिक्षण अवधि	चयन का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी	बारहवीं उत्तीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ	3 वर्ष 6 माह	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रवेश हेतु चयन बारहवीं कक्षा की प्रवीणता के आधार पर किया जाएगा.

Scanned by CamScanner

सेवारत अभ्यर्थियों के लिए पात्रता :—

नियम 4 (1) से नियम 4 (5) में उल्लेखित पात्रता शर्तों के होते हुए—

1. केवल वे सेवारत अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने—परीक्षा वर्ष के 30 अप्रैल को नियमित कर्मचारी के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूर्ण की है.

2. ऐसे सेवारत अभ्यर्थी, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन लम्बित है अथवा जो निलंबित हैं अथवा जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित है अथवा जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही की गई है, प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे.

3. यदि किसी सेवारत अभ्यर्थी को पूर्व में किसी पाठ्यक्रम में सेवारत अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश दिया गया हो, तो परवर्ती वर्षों में प्रवेश हेतु वे पात्र नहीं होंगे.

4. सेवारत अभ्यर्थीगण अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में संबंधित अग्रेषण प्राधिकारी को अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रेषण प्राधिकारी नियम 6 के प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करेंगे और पात्र सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को नियत तिथि तक अग्रेपित करेंगे.

सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों के विरुद्ध प्रवेश हेतु केवल वही सेवारत अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनके आवेदन पत्रों को अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा अग्रेपित किया गया है.

(6) **प्रवेश परीक्षा में श्रेणीवार प्राप्तांक :—** इन परीक्षाओं के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंकों का प्रावधान नहीं रखा गया है. प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के आधार पर मंडल अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था अथवा एजेंसी अथवा विश्वविद्यालय द्वारा योग्यता क्रम सूचियां (मेरिट लिस्ट) निर्धारित सीटों के मान से श्रेणी अनुसार बनायी जावेंगी.

(7) ऐसे निजी नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय, जो कि केन्द्र शासन के द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में संचालित तथा मान्यता प्राप्त हैं. इन नियमों के अंतर्गत प्रावधानिक आरक्षण के अतिरिक्त संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अतिरिक्त आरक्षण निर्धारित किया जा सकेगा, परंतु इस हेतु संबंधित संस्था को प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल के पूर्व यथास्थिति भारत सरकार अथवा राज्य शासन से जारी प्रमाण पत्रों सहित आवेदन संचालक को प्रस्तुत करना होगा. इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. ऐसे संस्थायें जिन्हें केन्द्र शासन द्वारा स्थायी अल्पसंख्यक संस्थान प्रमाण पत्र जारी किए गये हैं, केवल वे ही पात्र होंगे. ऐसी किसी संस्थाओं द्वारा आवेदन किए जाने की दशा में संचालक द्वारा नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों के सीटों में प्रवेश हेतु सीटों का विवरण नियम (4) के अंतर्गत प्रकाशित किए जाएंगे.

अल्पसंख्यक संस्थाएं प्रवेश हेतु नियम 4(1) से 4(6) तक प्रावधानित योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं भी निर्धारित कर सकेंगी. ऐसी संस्थाओं के लिए एक पंजीकृत कंसोर्टियम निर्धारित कर पृथक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजन कर सफल उम्मीदवारों से प्रवेश दिया जा सकेगा तथा काउंसिलिंग संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. के पर्यवेक्षण/नियंत्रण में आयोजित होगी.

(8) इस नियम के किन्हीं प्रावधानों के होते हुए यदि किसी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी का प्रवेश इन नियमों के प्रावधान का उल्लंघन है तो ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश को संचालक द्वारा निरस्त किया जा सकेगा.

5. **सभी पाठ्यक्रम के सीटों का निर्धारण एवं आरक्षण :—** सीटों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :—

(1) समस्त शासकीय सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की सभी पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश की सीटें इन नियमों के अंतर्गत आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाएगी.

(2) समस्त शासकीय सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की सभी पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश की सीटें केवल मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता (मेरिट) के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रवेश दिया जाएगा.

(3) शासकीय संस्थाओं की जी.एन.एम./बी.एस.सी./बी.एस.सी. (पोस्ट बेसिक)/पोस्ट बेसिक डिप्लोमा के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 20 प्रतिशत सीटें सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं.

Scanned by CamScanner

(4) नर्सिंग के स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्य के समस्त शासकीय संस्थाओं/निजी संस्थाओं के शासकीय नियतांश की सीटों में 50 प्रतिशत सीट सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे.

(5) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की समस्त सीटें एवं निजी महाविद्यालयों की शासकीय नियतांश की सीटों में केवल महिला अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा.

(6) निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु 40 प्रतिशत सीटें "शासकीय नियतांश" की एवं शेष 60 प्रतिशत सीटें "ओपन सीटें" होंगी. अल्पसंख्यक निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में यह 70 प्रतिशत "ओपन सीटें" तथा शेष 30 प्रतिशत शासकीय नियतांश की सीटें होंगी.

निजी नर्सिंग महाविद्यालयों की शासकीय नियतांश की सीटों के अतिरिक्त शेष सीटों में से न्यूनतम 80 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. (अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें पुरुषों के लिए)

(7) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार किये जायेंगे. यह आरक्षण नियम केवल शासकीय नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों तथा निजी नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों के शासकीय नियतांश की सीटों के लिए लागू होंगे.

(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी होने का दावा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौंसिलिंग के समय छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 0-13/2006/1-3, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 के अनुसार राज्य शासन द्वारा गठित जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(9) प्रवेश परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली सीटों की सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग के लिए 03 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु 03 प्रतिशत, विकलांग संवर्ग हेतु 03 प्रतिशत एवं महिला संवर्ग 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) एवं श्रेणीवार निम्नानुसार होगा :—
(माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4714/2005 में पारित निर्णय तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जावेगा).

(10) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षित किसी सीट के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी द्वारा कौंसिलिंग के समय आवंटन से पूर्व स्क्रूटनी में राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा.
(नोट :— केवल राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे. जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र काउंसिलिंग में मान्य नहीं किये जायेंगे. राज्य मेडिकल बोर्ड से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष आवेदक द्वारा जिला अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.)

स्पष्टीकरण :—(1) सैनिक संवर्ग में आरक्षण का लाभ सैनिकों के पुत्र/पुत्री को ही मिलेगा.

स्पष्टीकरण :—(2) सैनिक संवर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गए हों, के लिए सीटें आरक्षित हैं. इस संवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे छत्तीसगढ़ में विस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है. भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है. भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र अपने पिता/माता के छत्तीसगढ़ में विस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव, जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा.

अथवा

Scanned by CamScanner

वह छत्तीसगढ़ में अथवा बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है. ऐसे उम्मीदवारों को अपने माता पिता के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा कराना/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

अथवा

वह परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को अथवा उसके पूर्व की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है.

टिप्पणी :—सैनिक संवर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा.

स्पष्टीकरण :—(3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग आरक्षण का लाभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री एवं पौत्र/पौत्री (दादा-दादी अथवा नाना-नानी से संबंध होने पर) को ही मिलेगा. (माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के याचिका क्रमांक 3174/2004, डॉ. घनाराम बनाम छत्तीसगढ़ शासन और अन्य के परिप्रेक्ष्य में).

स्पष्टीकरण :—(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिनका नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टोरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है. इस संवर्ग में उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्रता होगी जो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होगा.

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्टोरेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत हैं, परन्तु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नि/पति एवं उसकी पुत्र एवं पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी अथवा नाना/नानी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत हैं.

स्पष्टीकरण :—(5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में संवर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के कलेक्टोरेट से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. केवल कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही अभ्यर्थी का इस संवर्ग में होने संबंधी एकमात्र वैध प्रमाण पत्र होगा.

स्पष्टीकरण :—(6) **शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण** :—शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रत्येक प्रवर्ग में तीन प्रतिशत (3%) आरक्षण है. यह क्षैतिज (हॉरिजान्टल) आरक्षण है. भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) के विनियमों के अनुसार लागू होगा :

1. सबसे पहले सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगों की लोकोमोटर, अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जाएगा. ऊपरी उल्लिखित अशक्तता वाले अभ्यर्थियों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में इस प्रकार के नहीं भरे गए सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगों की लोकोमोटर, अशक्तता वाले व्यक्तियों से भरा जाएगा.

2. भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) के प्रतिमानकों के अनुसार निम्नलिखित अशक्तताएं (विकलांगताएं) पात्र नहीं हैं :—
   (1) ऊपरी अंग विकलांगता
   (2) दृष्टिबाधित विकलांगता
   (3) बधिरीय विकलांगता
   (4) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता
   (5) कौंसिलिंग के समय तीन (3) माह से अधिक पुराना पात्रता प्रमाण पत्र

Scanned by CamScanner

6. चयन प्रक्रिया :—

(1) समस्त शासकीय सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की बीएससी नर्सिंग प्रवेश पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिए मण्डल अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी. पोस्ट बेसिक (नियमित) एवं पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लिनिकल स्पेशिलिटी पाठ्यक्रमों की परीक्षा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा अथवा निर्धारित एजेंसी द्वारा की जावेगी.

(2) समस्त शासकीय सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की एमएससी नर्सिंग प्रवेश पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिए विश्वविद्यालय अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी.

(3) समस्त शासकीय सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय की जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी (जीएनएम) प्रवेश पाठ्यक्रमों को शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु चयन मेरिट के आधार पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें अथवा निर्धारित एजेंसी द्वारा की जावेगी. जी.एन.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश बारहवीं कक्षा के प्राप्तांकों को मेरिट क्रम के आधार पर किया जायेगा.

7. परीक्षायें :—

(1) बी.एस.सी./बी.एस.सी. पोस्ट बेसिक नियमित हेतु परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगी. एम.एस.सी. हेतु परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगी.

(2) प्रवेश परीक्षा :—

(1) प्रवेश परीक्षा में प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न-पत्र होगा.

(2) एम.एस.सी. नर्सिंग के लिए एक प्रश्न-पत्र होगा.

(3) समय :— प्रश्न-पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 02 घंटे 15 मिनट की होगी. जिसमें प्रथम 15 मिनट का समय उत्तर पुस्तिकाओं के मुख पृष्ठ की प्रविष्टियों आदि की पूर्ति हेतु निर्धारित हैं. शेष 2 घंटे का समय प्रश्न पत्र हल करने हेतु है.

8. परिणाम की घोषणा :—

(1) परीक्षाफल की घोषणा :— मण्डल अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा परीक्षा का आयोजन और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जावेगा तथा प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार कर परीक्षाफल घोषित किया जाएगा.

योग्य उम्मीदवार को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट का आवंटन काउंसिलिंग द्वारा प्रावीण्यता (मेरिट) तथा विकल्प के आधार पर किया जावेगा.

(2) प्रावीण्य सूची :—

1. प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, मूल निवासी अभ्यर्थियों की प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार की जाएगी.

2. सेवारत अभ्यर्थियों की श्रेणीवार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) पृथक से मेरिट लिस्ट की घोषणा मण्डल/राज्य शासन के अधिकृत संस्था द्वारा की जाएगी.

3. मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए, सभी श्रेणियों के लिए एकीकृत प्रावीण्य (मेरिट) सूची तथा श्रेणीवार (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो) पृथक-पृथक प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार की जाएगी, जिसमें रोल नम्बर, नाम, श्रेणी, वर्ग प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक तथा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंक अंकित किए जाएंगे.

4. समान अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :— जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी उसे प्रवेश हेतु प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा.

(3) सेवारत अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची :—

(1) नियमों के अनुसार प्रवेश हेतु पात्र तथा परीक्षा में मण्डल/राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा सफल घोषित सेवारत अभ्यर्थियों पर विचार, निम्नलिखित आधार पर संगणित अंकों को जोड़ते हुए, अंतिम मेरिट

Scanned by CamScanner

लिस्ट तैयार कर किया जाएगा—

1. सेवारत अभ्यर्थियों को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में स्थित आदिवासी स्वास्थ्य संस्थानों में दी गई सेवाओं के लिए अधिकतम 5 वर्षों के लिये अधिकतम 50 अंकों की सीमा तक अतिरिक्त अंक अग्रेषण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधार पर दिए जाएंगे—

"आदिवासी स्वास्थ्य संस्थान" में सेवा अवधि	सेवाओं के अनुसार अतिरिक्त अंक में (अधिकतम 50 अंक)
तीन वर्ष से कम सेवा के लिये	शून्य अंक
तीन वर्ष सेवा के लिए	30 अंक
तीन वर्ष पश्चात् प्रतिवर्ष (अधिकतम 2 वर्ष हेतु)	10 अंक

अंकों की गणना शासकीय सेवा अवधि के आधार पर की जायेगी.

नोट :- प्रवेश के वर्ष के 30 अप्रैल को यथा स्थिति वर्ष के किसी भाग को इस नियम के उद्देश्य हेतु पूर्ण वर्ष के रूप में गिना जाएगा.

इन नियमों में अभ्यर्थी की सेवा अवधि जिसके लिए अभ्यर्थी अपने आदिवासी क्षेत्र में तैनाती के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे अथवा किसी अकार्य दिवस अथवा अवैतनिक अवकाश अवधि अथवा 3 माह से अधिक की प्रशिक्षण अवधि/आदिवासी क्षेत्र में कार्यकाल के दौरान गैर आदिवासी क्षेत्र में अभ्याग्रहण को आदिवासी क्षेत्रों में सेवा की अधिभारिता हेतु अंकों की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा. अग्रेषण अधिकारी प्रत्येक सफल सेवारत अभ्यर्थी को दिए गए अतिरिक्त अंकों की सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. को अग्रेषित करेंगे. सेवारत अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर (200 अंकों के समकक्ष) तथा आदिवासी क्षेत्र की सेवा की अधिभारिता हेतु प्राप्त अंकों (अधिकतम 50 अंकों के समकक्ष), इस प्रकार कुल 250 अंक, के आधार पर अग्रेषण अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा. दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में नियम 8(2) (4) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उनके पारस्परिक योग्यता मेरिट का निर्णय लिया जाएगा. सेवारत अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार से तैयार किए गए अंतिम मेरिट सूची का प्रयोग सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन के लिए ही किया जाएगा. इस प्रकार की सूची सेवारत अभ्यर्थियों को ऐसे सीट में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का अधिकार सृजित नहीं करेगा जो सीट उनके लिए आरक्षित नहीं है. सेवारत अभ्यर्थियों की कौंसिलिंग चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा की जाएगी.

(2) **पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद विभाग में लौटना :—** भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को अपने मूल विभाग में वापस लौटना होगा, चाहे परीक्षा के परिणाम की स्थिति कुछ भी हो अर्थात् उत्तीर्ण हो अथवा नहीं. किसी भी स्थिति में अध्ययन को जारी रखने के लिए अवधि के विस्तार की मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी. ऐसे सेवारत अभ्यर्थी जो इन नियमों के अधीन चयनित हुए हैं एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है पाठ्यक्रम की अवधि में अध्ययन अवकाश आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा पात्रता के आधार पर नियमानुसार स्वीकृत किया जाएगा.

9. **संवीक्षा एवं काउंसिलिंग :—**

(1) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/राज्य शासन द्वारा सम्यक् रूप से अधिकृत संस्था की प्रावीण्य सूची के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय/निजी नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों की शासकीय नियतांश की सीटों पर कौंसिलिंग प्रत्यक्ष अथवा ऑन लाईन के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही संचालक द्वारा की जाएगी. ऑन लाईन कौंसिलिंग की सूचना संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों/विभागीय वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किया जावेगा.

Scanned by CamScanner

(2) काउंसिलिंग के दौरान निजी क्षेत्र के नर्सिंग महाविद्यालय की उन्हीं सीटों पर आवंटन किया जावेगा, जिन्हें भारत सरकार/राज्य शासन से इस वर्ष के लिए अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त हो चुकी हो.

(3) काउंसिलिंग समिति में संचालक, चिकित्सा शिक्षा छ.ग. या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, प्राचार्य, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय तथा छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे. अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि को उक्त समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा.

(4) काउंसिलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों का सभी अभ्यर्थियों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

(5) संचालक, चिकित्सा शिक्षा अथवा संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापन कर अथवा पंजीकृत डाक से अथवा अन्य प्रचलित संचार माध्यमों से सफल अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु उनके स्वयं के व्यय पर आमंत्रित किया जाएगा. सूचना प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी स्वयं संचालक के कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की सूचना या जानकारी न मिलने की स्थिति में संचालक जिम्मेदार नहीं होंगे.

(6) संचालक द्वारा श्रेणीवार अनुपातिक रूप से एक सीट के लिए न्यूनतम तीन सफल अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु उनके स्वयं के व्यय पर आमंत्रित किया जावेगा.

(7) यदि कोई अभ्यर्थी संवीक्षा एवं काउंसिलिंग हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए सक्षम नहीं है तो वे अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत पत्र के साथ भेज सकते हैं.

(8) काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग शुल्क अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के रुपये 500/- तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रुपये 300/- नगद/बैंक ड्राफ्ट, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर, छत्तीसगढ़ के नाम से देय होगा. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा आयोजित कौंसिलिंग के लिए उपरोक्तानुसार राशि संचालक, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर, छत्तीसगढ़ के नाम से देय होगा.

(10) निर्धारित तिथि में काउंसिलिंग के लिए आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों की संवीक्षा काउंसिलिंग तिथि में प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक की जाएगी तथा दोपहर 3.00 बजे से प्रावीण्यता के आधार पर काउंसिलिंग प्रारंभ कर दी जाएगी. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग में पात्रता होगी जिनकी संवीक्षा हो चुकी हो तथा जिन्हें संवीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र पाया गया हो.

नोट :— जो अभ्यर्थी निर्धारित काउंसिलिंग तिथि को विलंब (दोपहर 1.00 बजे के बाद व संध्या 5.30 के पूर्व) से उपस्थित होंगे, उनकी काउंसिलिंग उसी दिन समय पर उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग पूर्ण हो जाने के उपरांत की जाएगी.

(11) किसी भी सफल अभ्यर्थी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को जांच (संवीक्षा) के समय अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा. संवीक्षा के समय अभ्यर्थी को अपने मूल प्रमाण पत्र तथा सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति साथ में लेकर आने होंगे. मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में वह संवीक्षा एवं काउंसिलिंग में भाग लेने का पात्र नहीं होगा.

(12) अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा की मूल अंक सूची साथ लाना अनिवार्य होगा अंक सूची देखकर ही अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा कक्ष में बैठने के लिए कहा जाएगा. संवीक्षा (स्क्रूटनी) हाल में 10-10 के समूह में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जहां उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, जिससे उनकी योग्यता सिद्ध हो.

(13) निर्धारित समय एवं दिनांक में किए जाने वाले संवीक्षा एवं काउंसिलिंग के लिए अनिवार्य दस्तावेज :—

1. 10+2 की अंकसूची (दसवीं व बारहवीं)
2. प्रवेश परीक्षा की मूल अंक सूची
3. मूल निवासी प्रमाण पत्र (छ.ग. अथवा अन्य राज्य के)
4. जाति प्रमाण पत्र [नियम 5 (8) के अनुसार]
5. विकलांगता का प्रमाण पत्र [नियम 5 (10) के अनुसार]
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र

Scanned by CamScanner

7. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक बोर्ड का प्रमाण पत्र
8. संचालक का आमंत्रण पत्र (यदि कोई हो तो)
9. काउंसिलिंग शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट

(14) संवीक्षा में उपयुक्त पाए जाने पर प्रावीण्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन उनके विकल्प के आधार पर किया जाएगा.

(15) चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध महाविद्यालय एवं उपलब्ध सीटों की सूचना काउंसिलिंग के समय दी जायेगी. उसे मात्र एक महाविद्यालय की सीटों का चयन करने का अधिकार होगा और उसे उसके द्वारा चयनित महाविद्यालय एवं सीट के प्रकार पर प्रवेश दिया जायेगा.

(16) अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के समय उपलब्ध सीटों के विकल्प में से किसी एक सीट को स्वीकार करना अनिवार्य होगा. यदि अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रथम अवसर पर किसी भी सीट को स्वीकार नहीं करता है, तो उसे एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे पश्चात्‌वर्ती काउंसिलिंग में भाग लेने को पात्रता होगी.

(17) काउंसिलिंग निम्न क्रम से की जायेगी :—
(1) अनारक्षित श्रेणी
(2) अनुसूचित जनजाति
(3) अनुसूचित जाति
(4) अन्य पिछड़ा वर्ग

(18) किसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को, जिसका नाम अनारक्षित श्रेणी को प्रावीण्यता सूची में भी हो, उसे अनारक्षित श्रेणी की काउंसिलिंग के समय सीट का चयन नहीं करने की स्थिति में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. ऐसे अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी की काउंसिलिंग के समय उपलब्ध महाविद्यालय की सीटों में से सीट का चयन करना होगा, परन्तु अनारक्षित श्रेणी की सीट का चयन करने की स्थिति में उसे आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत सीट चयन करने की पात्रता नहीं होगी. अनारक्षित श्रेणी की काउंसिलिंग के समय उपस्थिति नहीं होने पर इस प्रकार का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी.

(19) **किसी भी संवर्ग अथवा श्रेणी में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में सीटों का परिवर्तन :—**

1. किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग एवं महिला संवर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को उसी श्रेणी के "बिना संवर्ग" में परिवर्तित कर दिया जायेगा.

2. सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग एवं महिला संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटें समाप्त होने के पश्चात् उपलब्ध संवर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को उनकी स्वयं की श्रेणी में मेरिट आधार पर बिना संवर्ग के उचित क्रमांक पर रखा जायेगा.

3. किसी भी श्रेणी में सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की सीमा में पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीटों को उसी श्रेणी के ओपन सीटों में परिवर्तित किया जाएगा.

4. सभी महाविद्यालयों की सीटों में पुरुष अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसी सीटों को महिला अभ्यर्थी के लिए परिवर्तित किया जायेगा.

5. किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को पहले उसी संवर्ग की तथा उसी संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर "बिना संवर्ग" की सीटों पर निम्नानुसार अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा :—

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी. इसी प्रकार अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थियों में भरी जायेंगी. यदि इन दोनों श्रेणियों से अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्त सीटें अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएगी. अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्त सीटें पहले अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी और अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी न होने की दशा में अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएगी. इन तीनों श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्त सीटें अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएगी.

Scanned by CamScanner

10. **महाविद्यालयों/विद्यालयों में प्रवेश :—**

(1) अभ्यर्थियों को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित तिथि तक विद्यालय/महाविद्यालय में निर्धारित फीस जमा कर प्रवेश लेना होगा.

(2) यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश के उपरान्त तथा प्रवेश की अंतिम तिथि के कम से कम 2 दिन पूर्व तक सीट का परित्याग करता है तो उम्मीदवार द्वारा जमा की गई फीस की राशि में से 10% की कटौती सेवा शुल्क काट कर शेष राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी. शेष मामलों में फीस की राशि वापसी योग्य नहीं होगी.

(3) अभ्यर्थी को महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक सभी मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(4) किसी भी श्रेणी एवं वर्ग के किसी भी प्रवेशित आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर संस्था में उपस्थित न होने पर या प्रवेश लेने के उपरान्त संस्था छोड़ देने से या किसी अन्य कारण से सीट रिक्त होती है तो उन रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश पुन: कौंसिलिंग द्वारा दिया जायेगा. निजी महाविद्यालयों की शासकीय नियतांशों की सीटें अंतिम काउंसिलिंग से पूर्व रिक्त रहने की दशा में निजी महाविद्यालयों की प्रबंधन, नियतांशों में समाहित कर ली जावेंगी.

(5) अंतिम काउंसिलिंग के दिन रिक्त सीटों के लिए काउंसिलिंग स्थल पर दोपहर 12.00 बजे तक रिक्त सीटों की सूची सूचना पटल पर चस्पा कर दी जाएगी. इस समय के उपरांत रिक्त होने वाली सीटों के लिए काउंसिलिंग नहीं की जाएगी.

(6) आवेदन के वर्ष की 30 सितम्बर अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि को प्रावीण्यता सूची समाप्त मान ली जायेगी एवं रिक्त सीट कालातीत (लेप्स) हो जाएगी.

11. **सेवारत अभ्यर्थियों के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बंधपत्र (बॉण्ड) :—** इन नियमों तहत नर्सिंग पाठ्यक्रम यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त करता है, तो निम्नानुसार बंधपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जावेगा :—

(1) उम्मीदवार को पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो वर्ष की अनिवार्य सेवा करना आवश्यक होगा. अन्यथा उम्मीदवार से पाठ्यक्रम के दौरान शासन द्वारा उम्मीदवार के लिए किये गये शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति इत्यादि की राशि वसूली अनिवार्य रूप से की जा सकेगी.

12. **प्रवेश रद्द करना :—** यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था से झूठी/गलत सूचना देकर, सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार का किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया हो तो उम्मीदवार का दिया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान तुरन्त, बिना कि ा सूचना के रद्द किया जा सकेगा. प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.

13. **चिकित्सकीय उपयुक्तता : —** चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रवेश लेने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा. इस हेतु जिस जिले के नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश लिया गया है उसी जिले के सिविल सर्जन का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.

14. **शुल्क :—** छत्तीसगढ़ शासन/छत्तीसगढ़ प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा तत्समय निर्धारित शुल्क लागू होंगे.

15. **नियमों की व्याख्या :—** प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी होगा. प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा.

16. **संशोधन :—** राज्य शासन इन नियमों में समय-समय पर संशोधन कर सकेगी.

17. **निरसन :—** इन नियमों के प्रवृत्त होने की तिथि से "छत्तीसगढ़ नर्सिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा" से सम्बन्धित समस्त पूर्व नियम निरसित माने जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

Scanned by CamScanner

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017 — भाद्रपद 4, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-07/2008/नौ/55-4 — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर क्रमांक एफ 21-7/2008/नौ/55- "छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2012" की कंडिका 4 की उपकंडिका 4 के (1 एवं 2) में संशोधन एवं कंडिका 09 में उपकंडिका 19 के पश्चात् क्रमशः 20 एवं 21 निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है :-

उपकंडिका (4) नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें .-

(1) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें :-

क्रमांक (1)	नर्सिंग पाठ्यक्रम (2)	अर्हताएं (3)	प्रशिक्षण अवधि (4)	परीक्षा एजेंसी (5)
1.	बी. एस. सी. (पोस्ट बेसिक) नियमित	जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाफरी उत्तीर्ण, राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीयन	02 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा/ संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जावेगा.
2.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशियलिटी	पंजीकृत नर्स (जी. एन. एम. या बी. एस. सी.)	01 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से किया जावेगा.
3.	बी. एस. सी. (बेसिक)	परीक्षा (10+2) बारहवीं में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में उत्तीर्ण तथा भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों विषयों	04 वर्ष	व्यापम

Scanned by CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		को जोड़कर न्यूनतम 45 प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण एवं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत)		
4.	एम. एस. सी.	3. न्यूनतम 55 प्रतिशत एग्रीगेट अंको के साथ बी. एस. सी. नर्सिंग/ बी. एस. सी. आनर्स. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक नर्सिंग उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 05 प्रतिशत शिथिलनीय) 4. बेसिक बी. एस. सी. उपरांत 1 वर्ष का अनुभव अथवा पोस्ट बेसिक बी. एस. सी. नर्सिंग के पूर्व अथवा पश्चात् 1 वर्ष का अनुभव	02 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा/ संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जावेगा.

(2) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हतायें :-

क्रमांक	नर्सिंग पाठ्यक्रम	अर्हताएं	प्रशिक्षण अवधि	चयन का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जनरल नर्सिंग एंड मिडवाफरी	12वीं उत्तीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण एवं आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत	03 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रवेश हेतु चयन बारहवीं कक्षा की प्रवीणता एवं विज्ञान विषय वालों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा.

कंडिका 9. समीक्षा एवं काउंसिलिंग :-

(20) भारतीय उपचर्या परिषद् (भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली) के समय-समय पर जारी संशोधित मापदण्ड, अर्हताएं एवं पाठ्यक्रम अवधि इत्यादि में लागू होंगे.

(21) शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों/ विद्यालयों की सीटें भर जाएंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017

Scanned by CamScanner

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 सितम्बर 2017 — आश्विन 4, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-07/2008/नौ/55-4. — विभागीय अधिसूचना दिनांक 3-5-2012 द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकीय नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटें तथा निजी नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु "छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2012" बनाये गये है तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 24-8-2017 द्वारा उक्त नियम की कंडिका 4 की उपकंडिका 4 के (1 एवं 2) में संशोधन एवं कंडिका 09 में उपकंडिका 19 के पश्चात् क्रमशः 20 एवं 21 नियम प्रतिस्थापित किया गया है :-

2. राज्य शासन एतद्द्वारा संदर्भित मूल नियम अधिसूचित दिनांक 03 मई, 2012 एवं तत्संबंधित संशोधित नियम दिनांक 24 अगस्त, 2017 को निजी नर्सिंग महाविद्यालयों की ओपन सीटों के आवंटन/प्रवेश के मापदण्ड प्रयोजन हेतु पूर्णतः अंगीकृत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017

Scanned by CamScanner